कार्यालयः जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू

(जिला योजना शाखा)
(नीति आयोग कोषांग)

Email: adcpalamu@gmail.com Office:06562-230859

प्रेस–विज्ञप्ति

उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मत्रांलय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक 17021/15/2021-US-(SCD-III), दिनांक 19.05.2021 द्वारा आंकाक्षी जिला अन्तर्गत SHRESHTA योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र/छात्राओं का चयन करते हुए आवासीय विधालयों में नामांकन किया जाना है। उक्त योजना में मेधावी छात्र/छात्राओं के चयन हेतु निम्नांकित अहर्ता है :–

1. पलामू जिला का निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति का हो।
3. परिवार का वार्षिक आय 2.50 लाख या इससे कम हो।
4. इस जिला हेतु कुल 41 विधार्थियों का ही चयन किया जाना है। चयन हेतु 50 प्रतिशत छात्र, 50 प्रतिशत छात्रा, जिसमें 10 प्रतिशत दिव्यांग सम्मिलित हो। वर्गवार चयन हेतु निर्धारित लक्ष्य निम्नवत है :–

कक्षा, जिसमें Admission लेना है	छात्र	छात्रायें	दिव्यांग (छात्र/छात्राओं में सम्मिलित)
9वीं	09	10	02
11वीं	11	11	02
कुल :–	**20**	**21**	

5. 9वीं कक्षा में प्रवेश हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को विगत 3 वर्षो में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए। साथ ही, 11वीं कक्षा में प्रवेश हेतु 75 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

अतः उपरोक्त अहर्ता वाले छात्र/छात्राओं से आग्रह है कि SHRESHTA योजना के तहत चयन हेतु अपना अंकपत्र एवं आवेदन पत्र जिला योजना कार्यालय, पलामू में दिनांक 25.08.2021 तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

16/08/21

उपायुक्त, पलामू।

ज्ञापांक 687 /जि0यो0,दिनांक 16/08/021

प्रतिलिपि :– जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। साफ्ट एवं हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। हार्ड प्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इसे पलामू जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से भी उपरोक्त अहर्ता वाले मेधावी छात्र/छात्राओं का चयन कर सूची समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

16/08/21

उपायुक्त, पलामू।

Manish (NES) 16/08/2021